CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: +91 (011) 4061 6000, 2995 5124, 2995 6110 **Fax:** +91 (011) 2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: +91 (011) 2464 5334, 2464 5335

LEAVES OF IMPORTANT SURVIVAL TREES IN INDIA — MAHUA, KHEJDI, ALDER, PALMYRA AND OAK

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली
प्रेस विज्ञप्ति: छत्तीसगढ़ में डीएमएफ
यह प्रेस विज्ञप्ति www-cseindia-org पर हिंदी में भी उपलब्ध है

सीएसई के नवीनतम विश्लेषण में बताया गया है, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) के संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण से इस जन-केंद्रिक योजना का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है

सीएसई ने डीएमएफ योजना का महत्वपूर्ण 2018 मूल्यांकन जारी किया।
छत्तीसगढ़ उन शीर्ष पांच खनन राज्यों में से एक है जिनका गहन मूल्यांकन किया गया।

- रिपोर्ट में 12 खनन राज्यों का विश्लेषण किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित पांच प्रमुख खनन राज्यों का गहन मूल्यांकन किया गया है।
- नौ जिलों का सर्वेक्षण किया गया है। कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ का गहन विश्लेषण किया गया है।
- छत्तीसगढ़, डीएमएफ संग्रहण के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में से एक है– अप्रैल 2018 तक कुल 2,746 करोड़ रुपये का कुल संचयी संग्रहण हुआ; इसका लगभग 57 प्रतिशत कोयला खनन से प्राप्त हुआ।
- डीएमएफ के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं के लिए लगभग 3,133 करोड़ रूपये मंजूर किए गए – इसका लगभग 28 प्रतिशत अवसंरचना के लिए, 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए। उपयोगरू 50 प्रतिशत
- कोई उचित नियोजन नहीं; ग्राम सभाओं के साथ कोई परामर्श नहीं।
- राज्य सरकार, अपने विवेकानुसार इन परियोजनाओं को "जन कल्याण" परियोजनाओं में शामिल करने के लिए नियमों में प्रावधान करके निवेश को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- एमएमडीआर अधिनियम के उल्लंघन में, छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियमों में एक 'सेटलर' का पद भी है, जिसके पास किसी भी परियोजना को शामिल करने या स्क्रैप करने के लिए अधिभावी (ओवरराईडिंग) शक्ति होती है।
- राज्य, "खनन के प्रभाव पड़ोसी क्षेत्रों तक पहुंचने" के बहाने से छह प्रमुख जिलों – कोरबा, दांतेवाड़ा, रायगढ़, बलोड, बलोड बाजार और कोरिया – को डीएमएफ निधियों का प्रतिशत 14 अन्य जिलों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। इन सभी जिलों को मौटे तौर पर "खनन प्रभावित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जिला डीएमएफ निकाय में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है; जनता का अत्यधिक कम प्रतिनिधित्व है।
- जिन नौ जिलों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से केवल तीन ने डीएमएफ कार्यालय स्थापित किया है; पद खाली पड़े रहते हैं।
- डीएमएफ द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, बाल पोषण आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2018: राज्य सरकार द्वारा निवेश को दिशा निर्देशित करने में प्रमुख भूमिका निभाए जाने से और डीएमएफ की योजना बनाने एवं निर्णय लेने में जनता को पूरी तरह से बाहर रखे जाने से, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन योजना किस राज्य में सबसे प्रमुख विशेषता– इस योजना के जन केंद्रीय उपाय होने, जनता द्वारा अपने लाभ के लिए स्वयं चलाए जाने और स्वयं निर्णय लेने की विशेषता समाप्त हो गई है। आज यहां सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का यह एक प्रमुख निष्कर्ष है।

जनता प्रथम: डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थिति रिपोर्ट, 2018 — जैसा कि रिपोर्ट की गई है, यह चौथे वर्ष में प्रवेश के समय डीएमएफ का आकलन है। इस रिपोर्ट में देश भर में 12 राज्यों को कवर किया गया है छत्तीसगढ़ सहित पांच शीर्ष राज्यों में जिलों में निवेश का गहन अध्ययन किया गया है। यह रिपोर्ट, राज्य और

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director General
SUNITA NARAIN

Deputy Director General
CHANDRA BHUSHAN

Members
A.K. SHIVA KUMAR
BHARATI CHATURVEDI
G.N. GUPTA
JAGDEEP GUPTA
MAHESH KRISHNAMURTHY
N.C. SAXENA
N.J. Rao
RAJ M.S. LIBERHAN
WILLIAM BISSELL

केंद्र सरकारों, खनन से प्रभावित जिलों के जिला प्रशासकों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की मौजूदगी में जारी की गई थी।

सीएसई की महानिदेशक, सुनीता नारायण ने रिपोर्ट जारी करते समय कहा, "डीएमएफ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रशासन का जन केंद्रिक विजन है, जिसमें लाभ के उनके अधिकार को सर्वप्रमुख रखा गया है। यदि इसे भली–भांति विकसित एवं कार्यान्वित किया जाता है, तो डीएमएफ में मृत्यु के बाद कुछ सबसे गरीब समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने की भारी क्षमता है बल्कि ये समावेशी प्रशासन का मॉडल भी हो सकते हैं।"

डीएमएफ, खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देश के प्रत्येक खनन जिले में, गैर–लाभकारी न्यास के रूप में गठित किए गए हैं। इनका एक संक्षिप्त और विधिक तौर पर स्पष्ट उद्देश्य, जनता और खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2018 तक डीएमएफ संग्रहण 2,746 करोड़ रुपये है। डीएमएफ संग्रह के मामले में राज्य के शीर्ष जिलों में कोरबा (674 करोड़ रुपये), दांतेवाड़ा (216 करोड़ रुपये) और रायगढ़ (122 करोड़ रुपये) आते हैं।

सीएसई के उप–महानिदेशक, चन्द्र भूषण ने कहा, "डीएमएफ, भारत के खनन जिलों में अत्यधिक गरीबी और अभाव में जीवन यापन कर रहे करोडों लोगों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को बदलने का एक निर्णायक अवसर है। लेकिन डीएमएफ से ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि इसे खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाई डीएमएफ नियमावली के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। हमारा आकलन दर्शाता है कि अभी तक छत्तीसगढ, डीएमएफ को सही तरह से कार्यान्वित करने में विफल रहा है।"

जनता को डीएमएफ के नियोजन और निर्णय लेने से बाहर रखा गया

छत्तीसगढ में जिला डीएमएफ निकायों में खनन से प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधित्व की कोई गुंजाइश नहीं है। डीएमएफ निकाय में जिले के अधिकारियों और खनन क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है। "जनता का प्रतिनिधित्व" महज पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के कुछ निर्वाचित सदस्यों से आता है।

राज्य सरकार, निवेश को दिशा निर्देशित करने में सिर्फ भूमिका निभा रही है। प्रथम, सेटलर (जो राज्य खान सचिव है), के पास किसी भी परियोजना को शामिल करने अथवा स्क्रेप करने, जैसा वह उचित समझता/समझती है, का अधिकार दिया गया है। दूसरा, राज्य ने निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में "जन– कल्याण" को शामिल करने के लिए अपनी नियमावली में संशोधन किया है जिससे राज्य के सामने, किसी राज्य अथवा केंद्रीय सरकार की योजना, जिसे वह उचित समझता है, को शामिल करने के लिए एक और चुनौती आ गई है। वर्तमान में इसके जरिए जिलों में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना चलाई जा रही है।

किसी भी जिले ने खनन–प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता–आधारित निवेश सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डीएमएफ योजना तैयार नहीं की है। अभी तक कार्य मंजूरियां, तदर्थ हैं।

ग्राम सभा की भूमिका, जो विशेष रूप से अनुसूची V के क्षेत्रों के लिए परिभाषित की गई है, की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। पूरे कोरबा और दांतेवाड़ा, और रायगढ़ के कुछ हिस्से को (खनन क्षेत्रों सहित), अनुसूची V के क्षेत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है। ग्राम सभा से भी लाभार्थियों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है। श्रेष्ठा बनर्जी, कार्यक्रम प्रबंधक, पर्यावरण प्रशासन एकक, सीएसई ने कहा, "हालांकि, ऐसी थोडी–सी सूचना उपलब्ध है, जिससे यह पता चलता है कि कार्यों के अनुमोदनों के लिए ग्राम सभा से विचार–विमर्श किया गया है।"

भूषण ने कहा, "छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के कार्यान्वयन में ग्राम सभा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अभी तक डीएमएफ के लिए लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है। इससे कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित लोग– जिन्हें खनन कार्यकलापों की वजह से विस्थापित किया गया है और जिन लोगों को खनन भूमि पर परंपरागत अधिकार है– डीएमएफ के लाभों से छूट गए हैं।"

राज्य के निर्देश के बावजूद, अभी भी डीएमएफ कार्यालय नहीं है

राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में डीएमएफ कार्यालयों के पदों के सृजन का आदेश दिए जाने के बावजूद, जिन जिलों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से केवल नौ जिलों ने डीएमएफ कार्यालय के कार्यात्मक होने और अधिकांश पद भरे होने की सूचना दी है। अन्य जिलों में अभी भी बिना किसी कार्यालय कार्य किया जा रहा है। श्रेष्ठा जी ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि समावेशी और प्रभावी नियोजन किया जा रहा है, एक पूर्णकालिक डीएमएफ कार्यालय का होना आवश्यक है, जिसमें नियोजन विशेषज्ञ हों, जो अंतराल विश्लेषण करने में सक्षम हों, ग्रामसभा के साथ परामर्श करें और जिले के संसाधनों के आधार पर डीएमएफ निवेश की योजना बना सकें।" उन्होंने यह भी कहा, "प्रासंगिक विशेषज्ञ कर्मचारियों से युक्त कोई कार्यालय न होने से डीएमएफ के लिए उचित नियोजन के रास्ते में रूकावट आएगी।"

छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जिसने जिला विशिष्ट जानकारी से युक्त एक ऑनलाइन डीएमएफ वेबसाइट विकसित की है। वेबसाइट में डीएमएफ ट्रस्टियों और सदस्यों, निधि आवंटन, परियोजनाओं की प्रगति, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कुछ जिलों के मामले में, कुछ डीएमएफ निकाय की बैठकों के कार्यवृत हैं। हालांकि, खनन प्रभावित क्षेत्रों, डीएमएफ लाभार्थियों, वार्षिक रिपोर्ट आदि की जानकारी अभी भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। राज्य नियमावली और केंद्र की प्रमुख योजना– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)– डीएमएफ के अनुरूप, के लिए डीएमएफ संबंधी सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

निर्माण-प्रेरित निवेश

छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के तहत परियोजनाओं के लिए 3,133 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं; इनमें से लगभग 28 प्रतिशत भौतिक अवसंरचना और लगभग 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए है। जबकि शिक्षा, निवेश का एक क्षेत्र है, इसका बड़ा हिस्सा निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसका एक क्लासिक उदाहरण कोरबा है जहां शिक्षा पर अब तक का सबसे अधिक निवेश किया गया है, लेकिन इसका लगभग 70 प्रतिशत, शिक्षा केंद्र बनाने के लिए है।

श्रेष्ठा जी ने कहा, "जिले ने सही मुद्दा उठाया है। हालांकि, शिक्षा केंद्र में जिले का फोकस केवल निर्माण पर रखा गया है। स्कूलों में अत्यधिक ड्रॉप–आउट दर और शिक्षकों की कमी को देखते हुए, जिले को इसी के साथ–साथ, खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूलों में विभिन्न संसाधन अंतराल को समाप्त करने में निवेश पर भी विचार करना चाहिए था।"

जिन तीन जिलों का गहन सर्वेक्षण किया गया, उन सभी तीनों जिलों में स्पष्ट रूप से अवसंरचना पर बड़ा फोकस किया गया है। उदाहरण के लिए रायगढ़ ने अपने 123 करोड़ रुपये के निवेश का 40 प्रतिशत, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए निर्देशित किया है। दंतेवाड़ा ने भी इसके लिए 380 करोड़ रुपये के बजट का 34 प्रतिशत निवेश किया है।

सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित खनन क्षेत्रों से निवेश दूर करना

निवेश के संबंध में सीएसई के विश्लेषण से जिलों में उन क्षेत्रों में डीएमएफ निधियों का एक काफी बड़ा हिस्सा निवेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जो खनन कार्यकलापों से सीधे प्रभावित नहीं हैं।

कोरबा में लगभग 46% निवेश शहरी क्षेत्रों में किया गया है, तब भी जब जिले के 75 प्रतिशत सीधे प्रभावित गांव, ग्रामीण हिस्सों में हैं। ग्रामीण निवेश, शहरी निवेश मल्टीलेवल पार्किंग लॉट, सम्मेलन हॉल और बस स्टॉप के निर्माण से लेकर शहरी परियोजनाओं जैसे अटल पुनर्नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) में निवेश के लिए है। श्रेष्ठा जी ने कहा, "यह शहरी विकास परियोजनाओं है जिनका शुरुआत में खनन प्रभावित क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है।"

दंतेवाड़ा ने अपनी कुल मंजूरियों का 25% गीदम में निवेशित किया है जहां खनन द्वारा सीधे तौर पर प्रभावित पारिश्रमिक का अनुपात काफी अधिकतम है। कुआंगोंडा जैसे सबसे बुरी तरह प्रभावित ब्लॉकों को अभी तक कुल निवेश का केवल 12% मिला है। श्रेष्ठा जी ने यह भी कहा, "यह निवेश डीएमएफ के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, कि इस धन का सर्वाधिक खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए"

छूटे हुए महत्वपूर्ण मुद्दे

राज्य के निर्देशों द्वारा शासित जैसे कि वे हैं, उपेक्षित नियोजन वाले और जहां निर्णय लेने से जनता को दूर रखा गया है, सभी जिलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

सभी खनन प्रभावित क्षेत्रों में, जिनमें से कुछ जनजातीय क्षेत्र है, अत्यधिक कुपोषण और 5 से कम मृत्यु दर (U5MR) होने के बावजूद, महिला और बाल विकास के मुद्दों की बड़े पैमाने पर सभी जिलों में उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए रायगढ़ में कुल निवेश का लगभग 75%, भौतिक अवसंरचना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना और गांव के व्यक्ति युक्तिकरण के लिए दिया गया है, इनमें से प्रधानमंत्री उज्जवल योजना और गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है।

दंतेवाड़ा ने, इसके बावजूद कि इससे 5 वर्ष से कम के बच्चों का अवरूद्ध विकास है और 45 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन कम है, महिला और बाल विकास के लिए अपनी कुल निधियों का केवल 1.6 प्रतिशत ही निवेश किया है।

कोरबा और रायगढ़ में स्वास्थ्य सेवा में निवेश की अत्यधिक उपेक्षा की गई है। श्रेष्ठा ने कहा, "यदि उचित नियोजन किया जाता, सभी 3 जिलों के लिए बाल पोषण, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल शीर्ष प्राथमिकता होते।" जिले ने सेवा में 51 करोड़ (कुल निवेश का 13.4%) स्वास्थ्य सेवा– अवसंरचना निर्माण और स्वास्थ्य सेवा कार्मिकों, विशेष तौर पर चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर निवेशित किया है।

सीएसई की सिफारिशें

- डीएमएफ न्यासों की वांछित स्वायत्तता बरकरार रखी जानी चाहिए; राज्य सरकारों को केवल ट्रस्ट के उचित नियोजन, के निवेश और संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना चाहिए।
- सभी जिलों को डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए; ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता जिसका कोई लाभार्थी न हो। इससे महिला एवं बाल विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए लक्षित निवेश में भी मदद मिलेगी।
- ग्राम सभाओं (और वार्ड के सदस्यों, जहां लागू हो) का डीएमएफ निकाय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका पालन ना करना डीएमएफ कानून महत्ता का उल्लंघन में है।
- कार्यकलापों की कुशलता के लिए, सभी डीएमएफ के पास कार्यालय होना चाहिए जिसमें अधिकारी और विशेषज्ञ हो। प्रभावी नियोजन के लिए समय–समय पर स्वतंत्र संगठनों/ नियोजन विशेषज्ञ को भी शामिल किया जा सकता है।
- डीएमएफ खनन को खनन प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन करना चाहिए। दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए परिणामोन्मुखी एप्रोच अपनाई जानी चाहिए। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर यथारू नियोजित माध्यमिक कार्यकलापों की निगरानी की जानी चाहिए।
- निवेश को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित एवं नीचे से ऊपर (बॉटम–अप) एप्रोच अपनाई जानी चाहिए। प्राथमिकता वाले मुद्दों का निर्धारण कर लेने पर केंद्रीय और राज्य सरकार के अनय कार्यक्रमों के साथ सम्मिलन पर विचार करके इसकी क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है।
- डीएमएफ के कार्यों की पारदर्शिता की कुंजी, सूचना का जनता के सामने प्रकटीकरण है। वेबसाईट के जरिए जिला–विशिष्ट डीएमएफ संबंधी सूचना अवश्यक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सूचना को पंचायत स्तरीय मंचों के उपयोग से साझा किया जाना चाहिए।

भूषण जी ने संक्षेप में कहा, "चूंकि हम डीएमएफ के कार्यान्वयन के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह नियोजन और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने का है। बॉटम–अप नियोजन और उपयुक्त संस्थागत संरचना के बिना, डीएमएफ इसे पूरा नहीं कर पाएगा। हमें डीएमएफ को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए नियोजन और निगरानी में लाभार्थियों को शामिल करना आवश्यक है। आगामी वर्ष के लिए इसे अपना एजेंडा बनाते हैं।"

- **साक्षात्कार और किसी अन्य सहायता के लिए, कृपया सीएसई मीडिया संसाधन केंद्र के पारुल तिवारी से संपर्क करें - parul@cseindia-org /9891838367**

- **कृपया डीएमएफ पर हमारी सभी रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति आदि के लिए www-cseindia-org पर जाएं।**